विदेशी नागरिकों के लिए रोज़गार सुरक्षा एक्ट (लीव-इन केयरगीवर्स एन्ड अदर्स) (***Employment Protection for Foreign Nationals Act (Live-in Caregivers and Others)***) 2009 के तहत आपके अधिकार

सूचना पपत्र

लीव-इन केयरगीवर्स

विदेशी नागरिकों के लिए रोज़गार सुरक्षा एक्ट (लीव-इन केयरगीवर्स एन्ड अदर्स) (*Employment Protection for Foreign Nationals Act (Live-in Caregivers and Others)*) 2009 ईपीएफ़एनए (EPFNA) उन विदेशी नागरिकों पर लागू होता है जो ओन्टेरियो में लीव-इन केयरगीवर्स की तरह कार्यरत हैं या लीव-इन केयरगीवर्स का कार्य करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप संघीय लीव-इन केयरगीवर कार्यक्रम के तहत काम कर रहे हैं या काम खोज रहे हैं, तो यह एक्ट आप पर लागू होगा।

यह सूचना पपत्र आपको ईपीएफ़एनए के तहत आपके अधिकारों की संक्षिप्त देता है। ओन्टेरियो में बतौर एक लीव-इन केयरगीवर, आपको *रोज़गार मानदंड एक्ट* (*Employment Standards Act*) 2000 ईएसए (ESA) में भी आपको न्यूनतम वेतन और कार्यकारी घंटों पर सीमा जैसे अधिकार मिलेंगे। आपको इस बात का भी अधिकार है कि इस सूचना पपत्र के साथ में अपने ईएसए अधिकारों के बारे में एक सूचना पपत्र प्राप्त करें, जिसका शीर्षक है, *आपके रोज़गार मानदंड अधिकार: विदेशी लीव-इन केयरगीवर्स* (*Your Employment Standards Rights: Foreign Live-in Caregivers*)।

एक रेक्रुटर आपसे कोई शुल्क नहीं ले सकते

रेक्रुटर किसी भी इंसान को कहते हैं, जो आपके लिए नौकरी खोजता है या खोजने में सहायता करता है, आपको नौकरी दिलवाने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है या ओन्टेरियो में नौकरी पाने के लिए आपको किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाता है। रेक्रुटर आपसे किसी तरह का शुल्क नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए, केनेडा में काम शुरू करने के लिए आपके श्रम बाज़ार अनुमान (एलएमओ) (Labour Market Opinion (LMO)), वर्क पर्मिट या किसी भी सेवा के लिए आपसे खर्च नहीं ले सकते। इसके अलावा, आपसे अनुकूलन, रेज़्युमे लेखन, इन्टरव्यु की तैयारी करवाना या फ़र्स्ट ऍड प्रशिक्षण सत्रों के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। रेक्रुटर आपसे इन सेवाओं के लिए शुल्क नहीं ले सकते, चाहे ये सेवाएं वैकल्पिक ही क्यों न हो। इसके अलावा, रेक्रुटर के लिए कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, या उसका कर्मचारी, आपसे कोई शुल्क नहीं ले सकेगा।

आपके एम्प्लोयर आपसे आपको नौकरी देने का खर्च वसूल नहीं सकते

अगर आपके एम्प्लोयर ने आपको नौकरी पर रखने के लिए किसी तरह का भुगतान किया है या कोई खर्च किया है, तो वे नौकरी से संबंधित खर्च की आपसे वसूली नहीं कर सकते। यानि कि आपके एम्प्लोयर यह खर्च आपके खाते में डाल कर इन्हें आपके वेतन से नहीं काट सकते। इसमें आपकी नौकरी से संबंधित सारे खर्च और शुल्क शामिल हैं, जो आपके रेक्रुटर को आपसे वसूलने से लिए प्रतिबंधित हैं, जैसे कि आपका एलएमओ (LMO) या वर्क पर्मिट।

आपके रेक्रुटर या आपके एम्प्लोयर आपकी जायदाद नहीं ले सकते

आपके रेक्रुटर, आपके एम्प्लोयर या उनके लिए कार्य करने वाले व्यक्ति किसी भी कारण के लिए आपकी जायदाद पर कब्ज़ा नहीं कर सकते और न ही उसे अपने पास रख सकते हैं। इसमें आपका पासपोर्ट या वर्क पर्मिट जैसे दस्तावेज़ भी शामिल हैं।

आप अपने अधिकार त्यागने के लिए सहमत नहीं हो सकते

आप ईपीएफ़एनए (EPFNA) के अंदर अपने रेक्रुटर, एम्प्लोयर या उनके लिए कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ आपके अधिकारों को त्याग ने के लिए किसी कान्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते और न ही आप इससे सहमत हो सकते हैं। ऐसा समझौता अमान्य होगा।

आपके रेक्रुटर या एम्प्लोयर आपको अपने अधिकारों के बारे में पूछने या उसके बारे में दृढ़ता दिखाने पर आपको सज़ा नहीं दे सकते

आप ईपीएफ़एनए (EPFNA) या इएसए (ESA) के अंदर आपके रेक्रुटर, आपके एम्प्लोयर या उनके लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिबंधित किया जाता है कि वे आपको अपने अधिकार के बारे में पूछने या उनको अमल में लाने के लिए आपको धमका नहीं सकते या आपको सज़ा नहीं दे सकते। आपको अपने अधिकारों को अमल में लाने के लिए नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। आपको श्रम मंत्रालय के रोज़गार मानदंड अफ़सर से बात करने, मंत्रालय के पास शिकायत दर्ज करने या सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए धमकाया नहीं जा सकता या सज़ा नहीं दी जा सकती है।

अगर आपके रेक्रुटर या एम्प्लोयर आपको अपने अधिकारों के बारे में पूछने के लिए या उनको अमल में लाने के लिए आपको धमकाते हैं या सज़ा देते हैं, तो उनको किसी भी क्षति या नुकसान के लिए आपको मुआवजा देने के लिए आदेश दिया जा सकता है।

अगर आपको कोई सवाल हो या दावा करना चाहते हों

अगर आपको इस सूचना के बारे में कोई सवाल करना हो, या आपको लग रहा हो कि आपको आपके अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं और श्रम मंत्रालय में आप दावा करना चाहते हैं, तो कृपया रोज़गार मानदंड सूचना केन्द्र से इस फ़ोन पर (416) 326-7160 (इस नंबर पर टॉल-फ्री कॉल करें 1-800-531-5551) संपर्क करें या, जो लोग सुन न सकते हों, उनके लिए TTY 1-866-567-8893. आप अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट www.labour.gov.on.ca देख सकते हैं या वहां से दावे के लिए फ़ॉर्म डाउनलॉड कर सकते हैं। आप सर्विसओन्टेरियो (ServiceOntario) केन्द्र से भी ईपीएफ़एनए दावा फ़ॉर्म ले सकते हैं। आपके पास के केन्द्र को खोजने के लिए, कृपया फ़ोन करें 1-800-267-8097।

आपके पास साड़े तीन साल का समय है जिसमें आप ईपीएफ़एनए (EPFNA) के तहत आपके अधिकारों के लिए दावा कर सकते हैं। अगर ईपीएफ़एनए (EPFNA) के तहत आदेश जारी किया गया, तो आपको किसी भी राशि मुआवजा मिल सकता है। इस राशि की कोई सीमा नहीं है।

कृपया ध्यान दें कि ईएसए और ईपीएफ़एनए में दावे के लिए समय की विभिन्न अवधियां लागू होती हैं। इस बात पर भी ध्यान दें कि ईएसए और ईपीएफ़एनए में दावे के लिए विभिन्न फ़ॉर्म इस्तेमाल होते हैं।

अन्य भाषाएं

यह सूचना पपत्र फ़्रेंच और कुछ अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है, तो आपके आपके रेक्रुटर या एम्प्लोयर को पता करना चाहिए कि सूचना पपत्र किस भाषा में उपलब्ध है और आपको उसकी प्रति देनी चाहिए, अगर वह उपलब्ध है। यह पता करने के लिए कि कौन सी भाषाएं उपलब्ध हैं, कृपया रोज़गार मानदंड सूचना केन्द्र से इस फ़ोन पर (416) 326-7160 (इस नंबर पर टॉल-फ्री कॉल करें 1-800-531-5551) संपर्क करें या, जो लोग सुन न सकते हों, उनके लिए TTY 1-866-567-8893.

इस सूचना को सार्वजनिक सेवा की तरह प्रदान किया जा रहा है। जबकि हम कोशिश करते हैं कि सूचना वर्तमान और सही हो, लेकिन ग़ल्तियां हो सकती है। इसलिए हम सूचना के सही होने की गारंटी नहीं दे सकेंगे। पाठकों को, जहां संभव हो, सूचना पर कार्यवाही करने से पहले उसकी पुष्टि करनी चाहिए।

© ओन्टेरियो के लिए क्वीन्स प्रिन्टर, 2010 केनेडा में मुद्रित

March 2010
Ministry of Labour

ISBN **978-1-4435-1944-1** (Print)
ISBN **978-1-4435-1946-5** (PDF)
ISBN **978-1-4435-1945-8** (HTML)